कार्यालय - जिला - पंचायत - गाजियाबाद ।

पत्रांक: 29 दिनांक: 15-04-05

~~श्री एस० सी० जस्सर,~~ सलीम अहमद

अध्यक्ष,

~~जस्सर डेन्टल मेडिकल एज्यूकेशन हेल्थ फाउन्डेशन,~~

~~निवाड़ी रोड, मोदीनगर,~~

~~गाजियाबाद ।~~

Razia Mem. Trust
170, Zakir Bagh, New

आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत ~~जस्सर डेन्टल मेडिकल एज्यूकेशन हेल्थ फाउन्डेशन~~ निवाड़ी रोड, [redacted] हेतु मानचित्र पर अनुमति चाही गई है । आप DNS College of Pharmacy द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, जिसमें आप द्वारा उक्त स्थल को किसी नगरीय सीमा से पृथक दर्शाया गया है, के आधार पर इस विभाग में प्रचलित उपनियमों के प्राविधानानुसार आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्र पर अध्यक्ष महोदया के आदेश दिनांक [redacted]5 द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है । 17/05/2017

1- प्रथम दृष्टया इस उपनियमों में प्राविधानित अनुमति को भवन निर्माण के किसी भी विशिष्टि, स्ट्रक्चर, गुणवत्ता की औपचारिक स्वीकृति का तात्पर्य न लगाया जाय ।

2- भवन निर्माण से पूर्व सक्षम अधिकारी से सोयल टेस्टिंग का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सन्दर्भित स्थल की सोयल प्रस्तावित क्षमता को वहन करने में सक्षम है अथवा नहीं उसी के अनुरूप भवन निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी , इसमें इस विभाग का कोई सरोकार नहीं होगा तथा अर्थक्वेक के उपचार की कार्यवाही आवेदक को स्वयं की जानी होगी । अन्यथा की दशा में किसी भवन के अप्रत्याशित घटना के लिए यह विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3- चूंकि भवन एक से अधिक मंजिला का है, अतः स्ट्रक्चर में अग्नि शमन यंत्र का प्राविधान आवश्यक है । इसका प्राविधान एवं सक्षम अधिकारी की औपचारिक अनुमति प्राप्त कर ली जाय ।

4- मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से 6 माह के अन्दर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना होगा ।

5- भवन का कुर्सी भवन के निकट गली, सड़क अथवा खुले स्थान की सतह से कम से कम 30 सेमी० ऊँची होगी ।

6- मान चित्र पर प्रशासनिक स्वीकृति जिस प्रयोजन के लिए प्रदान की गई है उसी प्रयोजन में लाया जायेगा ।

7- मानचित्र पर इस विभाग से अनुमति से किसी भी शासकीय विभाग, निकाय, किसी अन्य व्यक्ति का अधिकारिक तथा भूस्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित होता है तो इसका दायित्व आवेदक का होगा ।

8- भवन निर्माण अनुमोदित मानचित्र के अनुसार ही कराया जायेगा तथा स्वीकृत मानचित्र सदैव प्रश्नगत स्थल पर रखा जायेगा ताकि मौके पर किसी भी समय जाँच की जा सके ।

9- दरवाजे व खिड़कियाँ इस प्रकार लगायी जायेगी कि उनके खुलने पर किसी व्यक्ति को आपत्ति न हो तथा सरकारी भूमि अथवा सड़क पर चढ़ाव न हो ।

For JASSAR DENTAL MEDICAL EDUCATION
—HEALTH FOUNDATION

Chairman

10- सडक अथवा लेन पर रैम्प अथवा स्टेप्स नहीं लगाये जायेंगे यह कार्य अपनी भूमि में किया जायेगा ।

11- भवन निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई अनुमति की निर्धारित दूरी के उपरान्त ही किया जायेगा ।

12- यदि स्थल पर बिजली की हाईटेन्शन लाईन हो तो उसका संज्ञान आपको लेना होगा व इस निमित बिजली विभाग से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक है ।

13- निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप किया जायेगा कोई फेरबदल बिना अनुमति के नहीं किया जायेगा ।

14- यदि भवन निर्माण किये जाने वाले स्थल की चौडाई सडक का रास्ते की तरफ स्थित है तो स्थल के अगले भाग में भवन निर्माण करने से पूर्व 1.20 मीटर जगह छोडकर निर्माण किया जायेगा ।

15- भूमि सम्बन्धी किसी विवाद के लिए यह विभाग उत्तरदायी नहीं होगा

16- उक्त स्थल पर यदि किसी अन्य विभाग का नियन्त्रण आता है तो नियमानुसार नक्शा पास कराने की कार्यवाही आपको पृथक से करनी होगी ।

संलग्न: नक्शे की प्रति ।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत मुरादाबाद ।

For JASSAR DENTAL MEDICAL EDUCATION
HEALTH FOUNDATION
Chairman